निदेशक मंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों का संघटन और उनके कार्य
(यथा 28 मार्च, 2023 को)

I. निदेशक-मंडल

1	श्री सिवसुब्रमणियन रमण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री वी. सत्य वेंकट राव	उप प्रबंध निदेशक
3	श्री सुदत्त मंडल	उप प्रबंध निदेशक
4	डॉ. रजनीश	सरकारी निदेशक
5	श्री भूषण कुमार सिन्हा	सरकारी निदेशक
6	श्री के. संपत कुमार	भारतीय स्टेट बैंक के नामिती
7	श्री कृष्ण सिंह नगन्याल	भारतीय जीवन बीमा निगम के नामिती
8	श्री मनमय मुखर्जी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के नामिती
9	श्री जी. गोपालकृष्ण	सहयोजित निदेशक
10	श्रीमती नूपुर गर्ग	सहयोजित निदेशक
11	श्री अमित टंडन	सहयोजित निदेशक

कार्य

निदेशक-मंडल का कार्य भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कामकाज एवं व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा प्रबंध करना है।

II. कार्यपालक समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री के. संपत कुमार
5 श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

कार्यपालक समिति (ईसी) निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करती है: (i) ऋण एक्सपोजर मानदंडों/प्रत्यायोजन के अनुसार ऋण और निवेश संबंधी प्रस्तावों (विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत) का अनुमोदन, (ii) बैंकों/लघु वित्त बैंकों को पुनर्वित्त सहायता जिसमें योजना के तहत निर्धारित छूट योग्य कैप से परे मानदंडों में छूट शामिल है, की मंजूरी (iii) संस्थागत वित्त के तहत बैंकों और एसएफसी को एकबारगी निपटान (ओटीएस), पुनर्संरचना आदि, को मंजूरी (iv) संस्थागत वित्त के तहत एनबीएफसी के संबंध में विनिर्दिष्ट संविभाग के एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण / समनुदेशन के अनुमोदन / मंजूरी के प्रस्ताव, (v) शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार मंजूरी के लिए बेंचमार्क मानदंडों, पात्रता मापदंडों और मंजूरी के लिए अन्य मापदंडों में किसी भी छूट से जुड़े प्रस्तावों की मंजूरी और कनेक्टेड लेंडिंग प्रावधानों से जुड़े प्रस्तावों का अनुमोदन करना, (vi) उद्यम पूंजी निवेश समिति की संस्तुति पर सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष के लिए प्रतिबद्धताओं की मंजूरी, (vii) टीसीओ में आरक्षित मूल्य से नीचे इक्विटी हिस्सेदारी का विनिवेश और (viii) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो समय-समय पर निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं या उसे सौंपे जा सकते हैं।

III. लेखापरीक्षा समिति

1 श्री वी. सत्य वेंकट राव
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री भूषण कुमार सिन्हा
4 श्री के. संपत कुमार
5 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
6 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार होंगे:

- सिडबी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अवलोकन करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा।
- पर्दाफाश करनेवाला (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्टों, सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्टों, भा.रि. बैंक निरीक्षण रिपोर्टों और उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।
- धोखाधड़ी के मामलों और उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करना ।
- सूचीबद्धता और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों के लिए संस्तुति करना।
- संबंधित पक्ष लेनदेनों का अनुमोदन/संस्तुति करना।
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा करना।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों/शेयरधारकों और सांविधिक देय राशि के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई हो, के कारणों की जांच करना।
- निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अन्य मामले।

IV. जोखिम प्रबंध समिति

1 श्री अमित टंडन, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री के. संपत कुमार
5 श्री मनमय मुखर्जी

कार्य

जोखिम प्रबंध समिति बैंक के व्यवसाय से जुड़े विभिन्न जोखिमों और उनके शमन तथा ऐसे अन्य मामलों का आकलन करेगी, जो बोर्ड द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं। जोखिम प्रबंध समिति की व्यापक भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार करना और अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल को संस्तुति करना।
- जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना।
- सिडबी द्वारा विशेष रूप से सामना किए गए आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान।
- पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
- व्यवसाय निरंतरता योजना।
- जोखिम नीतियों और जोखिम ढांचे की आवधिक समीक्षा करें।
- जोखिम पूंजी प्रभार गणना पद्धति (आईसीएएपी) और बैंक की पूंजी पर तत्संबंधी प्रभाव की समीक्षा।
- नए उत्पादों के प्रवर्तन और मौजूदा उत्पादों में संशोधन हेतु अनुमोदन।

V. बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री भूषण कुमार सिन्हा
5 श्री के. संपत कुमार
6 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु. 1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी और समीक्षा करना है, ताकि-

- जिन व्यवस्थागत कमियों के कारण धोखाधड़ी में मदद मिलती है, उनको चिह्नित करके उन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकें।
- पता लगाने में यदि कोई विलंब हुआ हो, तो उसके कारणों की पहचान करके बैंक के उच्च प्रबंधन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जा सके।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ पुलिस जाँच तथा वसूली की स्थिति की प्रगति की निगरानी हो सके।
- यह सुनिश्चित हो सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ की जबावदेही पर विचार किया गया है और स्टाफ के संबंध में जो भी कार्रवाई अपेक्षित हो, वह बिना समय गँवाए शीघ्रता से पूरी की गई है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई, जैसे - आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने आदि, की प्रभावशीलता की समीक्षा हो सके।
- धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को सुदृढ़ करने हेतु प्रासंगिक समझे गए अन्य उपाय किए जाएँ।

VI. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

1 श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल

3 श्री मेकिन माहेश्वरी (बाह्य विशेषज्ञ)
4 श्री राजेश दोशी (बाह्य विशेषज्ञ)
5 श्री पुष्पिन्दर सिंह (बाह्य विशेषज्ञ)

कार्य

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कामकाज, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विज़न, नीति और कार्यनीति को दिशा देती है, ताकि वे व्यवसाय के उद्देश्यों के अनुरूप हो सकें। साथ ही, उक्त समिति बैंक को सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में दीर्घकालिक योजना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है और सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एवं प्रबंध का पर्यवेक्षण भी करती है। समिति सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए शीर्ष समिति के रूप में भी कार्य करती है और बैंक में सूचना सुरक्षा के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए सूचना सुरक्षा योजना पर रणनीतिक और वित्तीय निर्णय करती है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति की व्यापक भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी विज़न, रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेजों का अनुमोदन देना।
- यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों की निगरानी करना और सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों की स्रोतीकरण और उपयोग के लिए उच्च स्तरीय दिशा प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों और नियंत्रणों की निगरानी करना।
- सूचना सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संरचना की स्थापना।
- सुदृढ़ साइबर सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संगठनात्मक प्रक्रियाओं की स्थापना करना और सफल सूचना सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

VII. ग्राहक-सेवा समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री के. संपत कुमार
5 श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

ग्राहक सेवा समिति बैंक में ग्राहक सेवा की प्रस्थिति की समीक्षा करती है और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु परामर्श देती है। समिति ग्राहकों की शिकायतों की निगरानी भी करती है और समयानुकूल उनका समाधान करती है।

VIII. वसूली समीक्षा समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री भूषण कुमार सिन्हा
5 श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

वसूली समीक्षा समिति एसएमए, पुनर्संरचित और उन सभी गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा करती है, जिनमें मूलधन की बकाया राशि रु. 5 करोड़ और उससे अधिक है।

IX. इरादतन चूककर्ता एवं गैर-सहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

1 श्री सिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष
2 श्री जी. गोपालकृष्ण

कार्य

इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता एवं असहयोगी उधारकर्ता के रूप में चिह्नित करने से संबंधित जो आदेश पारित किए हैं, उनकी समीक्षा की जा सके। यह समिति इरादतन चूककर्ता तथा असहयोगी उधारकर्ता संबंधी मामलों और यथावश्यकता उनको इस वर्ग से बाहर ले जाने के संबंध में भी छमाही आधार पर समीक्षा करेगी।

X. उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति

1 श्री वी. सत्य वेंकट राव, अध्यक्ष
2 श्री सुदत्त मंडल
3 श्री के. संपत कुमार
4 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
5 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

उप प्रबंध निदेशक - प्रबंध समिति i. समय-समय पर अनुमोदित डीओपी के अनुसार, त्याग की मूल धनराशि को शामिल करते हुए एक-बारगी निपटान (ओटीएस) के अनुमोदन पर विचार करती है। (ii) इरादतन चूक/गैर-सहयोगी/धोखाधड़ी के मामलों के आंशिक निपटान/ओटीएस का अनुमोदन, (iii) डीएमडी-एमसी या उच्चतर समिति (ओं) द्वारा मंजूर ओटीएस मामलों के लिए ओटीएस की सभी योजनाओं के तहत ओटीएस राशि पर ब्याज दर में कमी/ऐसे ब्याज की छूट का अनुमोदन और (iv) समय-समय पर अनुमोदित डीओपी के अनुसरण में बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/एआरसी को बिक्री के लिए आस्तियों की सूची का अनुमोदन।

XI. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

1 श्री भूषण कुमार सिन्हा
2 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल
3 श्री जी. गोपालकृष्ण
4 श्रीमती नूपुर गर्ग

कार्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य-निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन पर विचार करती है और उसके भुगतान का अनुमोदन करती है। साथ ही, यह समिति सिडबी के निदेशक-मंडल में निदेशक के रूप में सहयोजित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति भी करती है, ताकि निदेशक-मंडल अपने स्तर पर 'उपयुक्त और उचित' मानदंड के

अनुपालन के सत्यापन के बाद उन पर विचार कर सके। इसके अतिरिक्त, समिति निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करेगी।

XII. दीर्घकालिक विकासगत लक्ष्य संबंधी समिति

1 श्री अमित टंडन, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री रॉयस्टन ब्रैगेंज़ा (बाह्य विशेषज्ञ)
4 सुश्री रेखा कृष्णन (बाह्य विशेषज्ञ)
5 श्री शंकर वेंकटेश्वरन, (बाह्य विशेषज्ञ)
6 श्री राजेश गुप्ता, (बाह्य विशेषज्ञ)

कार्य

"दीर्घकालिक विकासगत लक्ष्य संबंधी समिति" बैंक में दीर्घकालिक विकास संबंधी लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने हेतु एमएसएमई उद्यमों /हितधारकों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यनीति तैयार करेगी। यह एसडीजी से संबंधित बैंक की पहलकदमियों की निगरानी और समीक्षा करती है और एसडीजी एजेंडा विशेषतः जलवायु परिवर्तन, कार्बन तटस्थता, दीर्घकालिक स्थिरता आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंक का मार्गदर्शन करती है। यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए उपादेय पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी दिशानिर्देशों के विकास का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करती है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

XIII. हितधारक संबंध समिति

1 श्री जी. गोपालकृष्ण, अध्यक्ष
2 श्री वी. सत्य वेंकट राव
3 श्री सुदत्त मंडल
4 श्री के. संपत कुमार
5 श्री कृष्ण सिंह नगन्याल

कार्य

समिति शेयरों के अंतरण/ पारेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए /द्वितीयक प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठकों आदि के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण की जांच करती है। इसके अलावा, समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सिडबी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन के लिए किए गए उपायों की समीक्षा भी करेगी।

*****